न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 120/2020

GCMS NO. : 2020/00217

–:: प्रार्थीगण ::–

1. अजय कुमार पुत्र राधेश्याम
2. अरूण कुमार पुत्र राधेश्याम
   जातियान– ब्राहम्ण निवासीगण– फूलमाल हाल जैतारण तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सोहनलाल पुत्र भीकाराम
2. सुनिल राठौड़ पुत्र टोलाराम
3. दीपिका पुत्र टोलाराम
4. मनु पुत्री टोलाराम
5. सुमन पत्नी टोलाराम
   जातियान– घांची निवासीगण– लाखोटिया चौक जैतारण,
6. सुरेश पुत्र प्रेमराज
7. जगदीश पुत्र प्रेमराज
   जातियान– ब्राहम्ण निवासीगण– फूलमाल
8. रामेश्वर लाल पुत्र भीकाराम
   जातियान– घांची निवासीगण– लाखोटिया चौक जैतारण,
9. नोरतराम पुत्र हराराम
10. सोहनलाल पुत्र हराराम
11. सीमाराम पुत्र भोलाराम
12. घेवरराम पुत्र भोलाराम
    जातियान– मेघवाल, निवासीगण– फूलमाल
13. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.06/10/2020

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, श्री रूस्तम खां भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 23/12/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना [illegible] धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि [illegible] कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा फुलमाल पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण में स्थित है जो खसरा नम्बर 157, 158, 159, 16[illegible] 161, 166, 167 कुल खसरा 07 कुल रकबा 61 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

इस भूमि को इस कार्यवाही में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित सायलान की उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये जैतारण करबे से फुलमाल ग्राम में जाने वाली डामर सड़क के उत्तरी तरफ स्थित खसरा नम्बर 162, 163, व खसरा नम्बर 164 व 165 मौजा फुलमाल पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण की भूमियो से होते हुये सायलान अपनी विवादित खसरा नम्बरान की भूमि में निर्विवाद रूप से वर्षो पूर्व से आवागमन करते रहे है। मौके पर सायलान के विवादित खसरा नम्बरान की भूमि में आवागमन का एक मात्र उक्त रास्ता खसरा नम्बरा 162, 163 से पूर्वी तरफ व तथा खसरा नम्बर 164 व 165 से पश्चिमी तरफ स्थित माठ पर लगभग 30 फुट चौड़ाई में मौके पर चलता रहा है जहां से सायलान स्वयं मय उनके ट्रेक्टर व अन्य साधनो के आवागमन करते रहे है उक्त रास्ते का नजरी नक्शा बनाकर इस कार्यवाही के साथ पेश किया जा रहा है जिसमें विवादित रास्ते को मार्क ए से बी से दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए से बी से दशाये गये रास्ते वाले स्थल से होकर सायलान वर्षो पूर्व से अपनी विवादित खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि में आवागमन करते रहे है इस प्रकार से उक्त रास्ता कदीमी है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड व नक्शा देश में दर्ज व तरमीम नही हो पाया था तथा उक्त रास्ते की भूमि गैरसायलान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई थी। किन्तु मौके पर रास्ता वर्षा पूर्व से चलता आ रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने की वजह से गैरसायलान ने बदनियतीपूर्वक उक्त रास्ता जुलाई 2020 में बारिश होने के बाद फसल बोई के समय रास्ता बन्द करते हुये रास्ता वाली जगह पर खड़ाई कर फसल की बुवाई कर दी तथा मौके पर तारबन्दी लगाकर के सायलान का रास्ता हमेशा हमेशा के लिये अवरूद्ध कर दिया है, जिससे सायलान को भारी परेशानी हो रही है तथा उक्त रास्ता अवरूद्ध करने के बाद से सायलान अपनी कृषि भूमि में जाकर के कृषि से सम्बन्धित कार्य नही कर पा रहे है तथा सायलान को अपनी खेत में ट्रेक्टर व अन्य कृषि साधन एवं औजार ले जाने में भी भारी परेशानीयो का सामाना करना पड़ रहा है सायलान के विवादित खसरा नम्बरान की भूमि में आवागमन के लिये इस कार्यवाही में प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी से दर्शाये रास्ते के अलावा विकल्पेन अन्य कोई रास्ता भी उपलब्ध नही है तथा गैरसायलान द्वारा उक्त रास्ता अवरूद्ध कर देने के बाद से जब सायलान ने गैरसायलान से समझाईश की तो दिनांक 27.09.2020 को गैरसायलान ने स्पष्ट रूप से सायलान से कहा कि सायलान के विवादित खसरा नम्बरान की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये मार्क ए से बी [illegible] नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्व आपरेकर्ड में रास्ता [illegible] सायलान को इस रास्ते से आवागमन नहीं करने देगें तथा न ही सायलान के आवागमन के लिये कोई स्थान उपलब्ध करवायेगें। इस प्रकार से सायलान के पास अन्य विकल्पेन रास्ता उपलब्ध नहीं होने से सायलान को उपूर्णीय क्षति भी हो रही है तथा गैरसायलान सायलान के इस एक मात्र रास्ते को बंद कर देते है तो सायलान हमेशा हमेशा के लिये अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन नहीं कर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested

पायेगे। जिससे सायलान को भारी परेशानी होगी व नुकसान होगा। इस बाबत सायलान विधिक प्रावधानों अनुसार रास्ते की मुआवजा राशि देने बाबत भी तैयार है व उसके बावाजूद भी गैरसायलान नहीं मान रहे है। सायलान का इस नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता ही एक मात्र कदीमी रास्ता है। इस प्रकार से इस नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार सायलान अपने इस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता सायलान का एक मात्र पुराना रास्ता है। जिसका विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान द्वारा तय किया जाये। उक्त मुआवजा राशि सायलान देने को भी तैयार है या न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए से बी 30 फुट चौड़ाई रास्ते के लिये काम में आने वाली भूमि को खसरा नम्बर 162, 163, 164 व 165 की भूमि से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है व रास्ते का खसरा नम्बर अलग से भी कायम किया जाना आवश्यक है एवं उक्त रास्ते की भूमि को भी सायलान रास्ते के रूप तरमीम करवाने के अधिकारी है। सायलान को उक्त रास्ते की इजर्मेंट ऑफ नेसेसिटी है। इसलिये भी सायलान रास्ता कायम करवाने के अधिकारी है। सायलान का यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों अनुसार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शूल्क के प्रस्तुत कर पेश किया जा रहा है। जो अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात के पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के माफिक राजस्व मौजा फुलमाल पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण में गैरसायलान की खसरा नम्बर 162, 163, 164 व 165 की भूमि में से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी भूमि जो 30 फुट चौड़ाई में सायलान के रास्ते के रूप में काम आ रही है। उक्त रास्ते की भूमि को गैरसायलान की खातेदारी कृषि भूमि से कम किया जाकर सायलान के विवादित भूमि पर आने जाने का रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व फैसला फरमावे तथा उक्त रास्ते को नक्शे में तरमीम भी किया जावे साथ ही रास्ता दर्ज किये जाने वाली भूमि का बाद पेमाईश रकबा का मुआवजा तय फरमावे व सायलान द्वारा मुआवजा राशि न्यायालय में जमा करवाने पर उसे गैरसायलान को अदा फरमावे व सायलान का उक्त रास्ता कायम करते हुये सायलान के प्रार्थना पत्र को मन्जूर फरमाकर सायलान को न्याय दिलावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 12 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया जिसमें उन्होंने कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि इसमे वर्णित तथ्य कि खसरा संख्या 162, 163 व खसरा नम्बर 164, 165 मौजा फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल तहसील जैतारण जिला पाली राज की भूमि में से होते हुए सायलान् अपनी विवादित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में निविर्वाद रूप से वर्षो से आवागमन करते रहे है तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र मे अंकित एक तथ्य मौके पर सायलान् के विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खसरा नम्बरान् की भूमि मे आवागमन का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 162, 163 के पूर्वी तरफ तथा खसरा संख्या 164, 165 से पश्चिमी तरफ स्थित माट पर लगभग 30 फिट चौडाई मे मौके पर चल रहा है। गलत होने से अस्वीकार है। सायल के द्वारा प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किये कि सायलान् स्वयं उनके ट्रैक्टर साधनो से आवागमन करते है। गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब यह है कि इसमे वर्णित तथ्य कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे मार्क ए से बी दर्शाये गये रास्ते वाले स्थल से होकर सायलान् वर्षो पूर्व से अपनी विवादित खसरा नम्बरान् की खातेदारी भूमि मे आवागमन करते रहे है उक्त रास्ता कदीमी है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य कि मौके पर रास्ता वर्षो पूर्व से चला आ रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नहीं होने की वजह से गैरसायलान् ने बदनियति पूर्वक उक्त रास्ता जुलाई 2020 मे बारिस होने के बाद फसल बुवाई के समय रास्ता बंद करते हुए रास्ते वाली जगह पर गलत होने से सबील्लार खडाई कर फसल बो दी। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 मे वर्णित तथ्य कि नक्शे मे दशाये गये मार्क ए से बी रास्ता एक मात्र कदीमी रास्ता है इस प्रकार नजरी नक्शे मे दर्शाये अनुसार सायलान् रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे बतौर रास्ते के रूप मे दर्ज कराने के अधिकारी है, उक्त रास्ता सायलान् का एक मात्र पुराना रास्ता है। उपरोक्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है।

अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच तक व आठ की तरफ से जवाब प्रार्थनापत्र पेश हुआ जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या एक का जबाब हैं कि इस फिकरे में वर्णित खसरा नम्बरान कि भूमि स्थित होने की जानकारी गैरसायलान को नहीं हैं सायलान स्वयं साबित करे इसके अलावा इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य गैरसायलान संख्या एक से पांच तक व आठ नामंजूर एवं अस्वीकार करते हैं। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या दो का जबाब हैं कि जैतारण कस्बे से फूलमाल ग्राम जाने वाली डामर सडक के उत्तरी दिशा की तरफ स्थित खसरा नम्बर 162, 164, 165 व 176 कि कृषि भूमि गैरसायलान कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित हैं जो नजरी नक्शे में मार्क केसरीया रंग से दर्शायी हुई हैं इस भूमि में मौके पर सायलान का आवागमन का रास्ता नहीं हैं। गैरसायलान संख्या दो से पांच तक एवं गैरसायल संख्या एक सोहनलाल व गैरसायल संख्या आठ रामेश्वरलाल कि जमीन के बिच पुरानी रेत की खन्दक लगी हुई हैं और रेत की खन्दक पर जोधपुर की पट्टीया खड़ी की हुई एवं चारो तरफ तारबंदी की हुई हैं ओर पुरानी रेत की खन्दक लगी हुई व कांटो की [illegible] बहुत पुरानी तारबंदी की हुई हैं सायलान का मौके पर आवागमन का [illegible] होते हुवे भी नजरी नक्शा में मार्क ए. से बी तक रास्ता [illegible] जवकी इस भुजा पर मौके पर पुरानी रत की बडी खन्दक लगी हुई है एवं कांटो [illegible] व [illegible] के बाड़ हैं व तारबंदी हुई हैं एवं इस खन्दक पर जगह- जगह खेजडी व [illegible] के पुराने वृक्ष खडे हैं एवं इस भुजा पर फूलमाल जाने वाली सड़क के पास गैरसायलान की जमीन की भुजा पर कोर्नर पर विद्युत पोल खडा हैं मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 18:29:06 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सायलान का आवागमन का कोई रास्त नहीं हैं। सायलान ने प्रार्थना पत्र के साथ गलत नजरी नक्शा बनाकर पेश किया जा गलत हैं। मौके पर सायलान का आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 178 की माट के सहारे सहारे आवागमन का रास्ता हैं जो नजरी नक्शे में मार्क डोटेरी लाईन लाल रंग से ई से एप दर्शाया हुआ है। जो सायलान एवं इसके काश्तकार इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में कोई रास्ता नहीं हैं। इसके अलावा इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से गैरसायलान नामंजूर एवं अस्वीकार करते हैं। मौके का नज़री नक्शा बनाकर जबाद प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं इसके अलावा नक्शा ट्रेस जमाबंदी की प्रमाणित प्रति सम्वत् 2075 से 2077 तक एवं मौके के रंगीन फोटुए नजरी नक्शा बनाकर जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। जो जबाब प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या तीन का जबाब हैं कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख होने से गैरसायलान नामंजूर एवं अस्वीकार करते हैं। गैरसायलान संख्या एक से पांच तक एवं आठ कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि में मौके पर आवागमन का रास्ता ही नहीं हैं तो आवागमन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। न ही तरमीम करने का प्रश्न उत्पन्न होता हैं मौके पर स्थित खसरा नम्बर 162, 164, 165 व 176 कि कृषि भूमि गैरसायलान के पूर्वजों के समय से यानि सेटलमेन्ट के समय से खातेदारी कृषि भूमि हैं। सेटलमेन्ट से लेकर आज तक उक्त आराजी कि भूमि में कोई रास्ता नहीं हैं गैरसायलान ने उक्त आराजी कि कृषि भूमि में अभी कातिसरा की फसल ली गई थी इसके बाद अभी वर्तमान में मौके पर तवीया की खडाई कि हुई हैं जो मौके के रंगीन फोटुओ से साबित हैं। गैरसायलान कि खातेदारी जमीन के चारो तरफ रेत की खन्दक सेटलमेन्ट से लगी हुई हैं ओर तारबंदी कई वर्षो पूर्व की हुई थी जो मौके पर आज तक बरकरार हैं। सायलान अपनी खातेदारी जमीन में वक खरीद से लेकर अभी तक इनकी भूमि में खसरा नम्बर 178 की माट के सहारे सहारे होते हुये पडत जमीन में होकर आवागमन करते हैं, जो नजरी नक्शे में रास्ता मार्क लाल रंग से डोटेरी लाईन से दर्शाया हुआ हैं, मौके पर पडत जमीन में रास्ते के आवागमन के टेक्टर व अन्य साधन आवागमन के निशान बने हुये हैं। जो मौके कि रंगीन फोटुओ से साबित हैं। रंगीन फोटुएँ जबाव के साथ पेश हैं जो जबाब का एक भाग माना जावें। जब मौके पर सायलान कि खातेदारी जमीन में आवागमन हेतु पडत जमीन में होते हुये खसरा नम्बर 178 की माट के चिपते ही रास्ता स्थित हैं जो फूलमाल जाने वाली डामर की सडक से मिलता हैं, अल्टरनेट आवागमन का मौके [illegible] हैं तो अपने खेत में टेक्टर व अन्य कृषि साधन एवं औजार लाने ले [illegible] में परेशानी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। केवल मात्र गैरसायलान [illegible] भूमि में जबरदस्ती लाठी के बल पर रास्ता निकालने हेतु बनावटी तथ्यों का उल्लेख करके प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। गैरसायलान संख्या एक से पांच तक एवं आठ की खातेदारी जमीन में रास्ता कायम करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं काबिल खारीज के हैं, जो मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खर्चे खारीज फरमावें। इसके अलावा सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में कपोल कल्पित बनावटी तथ्यों का उल्लेख करके प्रार्थनापत्र पेश किया हैं जो पोषणीय नहीं होने से काबिल खारीज के हैं, जो मय खर्चे खारीज फरमावें। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या चार का जवाब हैं कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख होने से आठ गैरसायलान संख्या एक से पांच तक नामंजूर एवं अस्वीकार करते हैं। खसरा नम्बर 162, 164, 165 व 176 की कृषि भूमि गैरसायलान संख्या दो से पांच तक की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हैं एवं खसरा नम्बर 162, 164, 165 व 176 गैरसायल संख्या एक एवं आठ की खातेदारी कब्जे काश्त कि भूमि हैं खसरा नम्बर 162, 163 व 164 व 165 के बिच दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा तक की भुजा पर पुरानी सेटलमेन्ट से रेत की खन्दक लगी हुई हैं जिस पर जगह-जगह बबूल व खेजडी के वृक्ष खडे हैं एवं कई वर्षो पूर्व में जोधपुर की पट्टीया खडी करके तारबंदी की हुई हैं इस भुजा पर मौके पर कोई आवागमन का रास्ता नहीं हैं व न ही रास्ता कायम किया जा सकता हैं न ही सायलान का यह प्रार्थनापत्र इजमेंट ऑफ नेसेसिटी की परिभाषा में आता हैं। क्योंकि जब सायलान की भूमि में आवागमन हेतू गैरसायलान की जमीन के उत्तर दिशा में पडत जमीन में होता हुआ खसरा नम्बर 178 की भूमि की माट के पास रास्ता स्थित हैं जो सायलान एवं अन्य खेतो के व्यक्तिगण एवं इनके काश्तकार इसी रास्ते से आवागमन करते हैं जो गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में मार्क लाल रंग ई से एफ मार्क से डोटेरी लाईन से दर्शाया हुआ हैं। मौके की रंगीन फोट्ुओ से साबित हैं जो यह रास्ता फूलमाल जाने वाली सड़क से होता हुआ खसरा नम्बर 178 की माट के पास होता हुआ पडत भूमि में से होता हुआ सायलान कि भूमि में जाता हैं जो यह रास्ता नजदीक पडता हैं। इसलिये गैरसायलान कि उक्त आराजी कि खातेदारी भूमि में रास्ता कायम करवाने के अधिकारी नहीं हैं न ही रास्ता कायम किया जा सकता हैं इसलिये भी सायलान का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने से काबिल खारीज के हैं जो मय खर्चे खारीज फरमावें। प्रार्थना पत्र के पैरा पांच का जबाब हैं कि यह कानूनी बिन्दू हैं जो घोर अदालत बाला के हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण ने रिर्पोट प्रस्तुत की प्रार्थीगण द्वारा आराजी ग्राम फूलमाल के खसरा नम्बर 161, 160, 166, 167, 157, 158 तक पहुंचने के लिये वर्तमान में अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक है। [illegible] रास्ता हेतु खसरा नम्बर 163 में से 2700 वर्गफुट खसरा नम्बर 162 [illegible] 06[illegible] वर्गफुट प्रभावित रास्ते का क्षेत्रफल है। जो भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा फर्द की [illegible] नजरी नक्शे में अंकित है। न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प व्यावहारिक है। [illegible] के लिये प्रस्तावित भूमि में वर्तमान में कोई रास्ता नहीं चल रहा है।

बहस वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया।

1. प्रार्थीगण खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया हैं कि उसकी ग्राम फूलमाल पटवार हल्का फूलमाल तहसील जैतारण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 161, 160, 166, 167, 157, 158 तक पहुंच के लिये वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते के लिये आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थनापत्र के साथ नजरी नक्शें में दर्शित मार्क ए से बी, जहां वर्षो से मौके पर रास्ता चलता आ रहा हैं लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है अतः उक्त अनुसार खसरा संख्या 162, 163, 164, 165 की भूमि में से रास्ता प्रदान कर पृथक से तरमीम करावें।

2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 8 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 162, 164, 165, व 176 में मौके पर कोई रास्ता प्रार्थीगण के लिये नहीं रहा है। मौके पर तारबन्दी की हुई है तथा मिट्‌टी खन्दक लगी हुई है। मौके पर प्रार्थीगण का आवगमन का रास्ता खसरा संख्या 178 की माठ के सहारे सहारे है। प्रार्थीगण वक्त खरीद से इसी स्थान से आवगमन करते हैं। जिसके रंगीन फोटो साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की जमीन से चिपते ही उत्तर दिशा में 40 फीट चौड़ी रेत की पाल पर रास्ता बना हुआ हैं जो प्रार्थीगण की जमीन खसरा संख्या 157, 158, 159, 160 व 167 की चिपते होता हुआ ग्राम फूलमाल तक जाता है। अतः प्रार्थीगण के लिये रास्ते के लिये आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।

3. अप्रार्थी संख्या 9 से 12 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण खसरा संख्या 163 के रेकॉडिड खातेदार काश्तकार है तथा इस खसरा से प्रार्थीगण के लिये कभी कदीमी रास्ता नहीं रहा है। अप्रार्थीगण की केवल 1-08 बिस्वा भूमि ही हैं अगर इस में से रास्ता दिया जाता है, तो अप्रार्थीगण के पास कोई अन्य भूमि शेष नहीं रहेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं होनें से खारिज फरमावें।

4. भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिये भू अभिलेख में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण के लिये न्यूनतम एवं निकटतम प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 162 व 163 में से है।

5. धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह विधिक प्रावधान है कि यदि काश्तकार को अपनी जोत तक कृषि कार्य [illegible] पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हो, तथा ऐसी आवश्यकता केवल सुविधा [illegible] नहीं होकर आत्यंतिक हो तो जांच उपरांत अधिकतम 30 फीट चौड़ा रास्ता [illegible] किया जा सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब [illegible] भू नक्शा की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम फूलमाल के भू अभि[illegible] में दर्ज खसरा संख्या 136 व 126 जो सिवाय चक गैर मुमकिन पाल है। जो कि खसरा संख्या 157 से शुरू होकर खसरा संख्या 157, 158, 159, 160, 168 की सीमा के सहारे ग्राम फूलमाल की तरफ अन्य अभिलिखित रास्ता से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 18:29:06 IS
Reason: SelfAttested

मिलती है तथा नक्शे में अंकित तरमीम के अनुसार प्राप्त चौड़ाई है। जहां से प्रार्थीगण आसानी से कृषि कार्य प्रयोजनार्थ स्वयं, कृषि मजदूर, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, ट्रोली, बैलगाड़ी, पशु आदि आसानी से ला व ले जा सकते है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ते के लिये की गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता नहीं होकर केवल मात्र सुविधा के लिये की गई है। जो कि कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र भली भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 23/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:06 IST
Reason: SelfAttested